पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

CIRCULAR

Circular No.: PFRDA/2026/24/REG-PF/05 **Date: 05th May 2026**

To:

CEOs of all Pension Funds

Subject: Applicability of SEBI Regulations relating to Insider Trading, Self-Dealing and Front Running to NPS investments – Supersession of PFRDA Circular dated 25 July 2019

1. Refer PF Regulations IV (b) CONFLICT OF INTEREST

   'A pension fund or any of its directors, or employee or an associate of the pension fund shall not, either through its account or their respective accounts or through their family members, relatives or friends indulge in any insider trading. Further, they shall adhere to the guidelines issued in this regard by the Authority from time to time'

2. Background:

   PFRDA had issued Circular dated 25th July 2019 on *"Guidelines on Self-Dealing, Insider Trading and Front Running"* applicable to Pension Funds.

   The insider trading, self-dealing and front running are matters falling exclusively within the regulatory domain of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the securities market framework. SEBI has issued comprehensive regulations, circulars and guidelines governing these matters, which apply uniformly to all participants operating in the securities market.

3. PFRDA's Regulatory Position and Clarification:

   PFRDA hereby clarifies that:

   a. All investments made under the NPS are undertaken in the securities market and form part of the SEBI-regulated market ecosystem.
   b. Accordingly, SEBI regulations (Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015), circulars and guidelines relating to:
      - Prohibition of Insider Trading,
      - Prevention of Self-Dealing, and
      - Prevention of Front Running,

      shall apply *mutatis mutandis*, and to the extent applicable, to PFs, their directors, employees, key managerial personnel (KMP) and all other persons associated with NPS investment activities.

c. *PFRDA shall not prescribe separate or parallel regulatory provisions on matters relating to insider trading, self-dealing and front running, in order to avoid regulatory overlap and duplication*.

4. Supersession of the earlier PFRDA's Circular:

   In view of the above:
   a. The PFRDA Circular dated 25 July 2019 on "Guidelines on Self-Dealing and Front Running" & Subsequent clarifications stands superseded with immediate effect.
   b. Any references to the aforesaid circular in internal policies, codes of conduct or operational documents of PFs shall be read as references to the applicable SEBI regulatory framework, to the extent relevant.

5. Responsibility of Pension Funds:

   Every Pension Fund shall –
   a. Have a model code of conduct to prevent insider / personal trading of Officers involved in various levels of Investment Operations in compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 as amended from time to time and place the same before its Board of Directors for its approval.
   b. Adopt, implement and maintain internal policies, codes of conduct and compliance frameworks consistent with applicable SEBI regulations.
   c. Ensure that persons associated with NPS investment activities are adequately sensitised and trained regarding their obligations under the SEBI framework.
   d. Enable appropriate systems for monitoring, reporting and escalation of any instances of insider trading, self-dealing or front running, in accordance with applicable law.

6. Supervisory Oversight by PFRDA:

   PFRDA shall, in exercise of its supervisory powers under the PFRDA Act, 2013 and regulations made thereunder, assess the adequacy of governance, internal controls and compliance mechanisms adopted by PFs to ensure adherence to applicable SEBI regulations. *Any deficiencies observed may be dealt with in accordance with the applicable regulatory framework*.

7. Effective Date:
   This circular shall come into force with immediate effect.

Yours faithfully,

K MOHAN GANDHI
Digitally signed by K MOHAN GANDHI

Chief General Manager

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

<u>परिपत्र</u>

परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2026/24/आरईजी-पीएफ/05 **दिनांक : 05 मई 2026**

प्रति :

सभी पेंशन फंड्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

<u>विषय : एनपीएस निवेशों पर इनसाइडर ट्रेडिंग, सेल्फ-डीलिंग एवं फ्रंट रनिंग से संबंधित सेबी विनियमों की प्रयोज्यता - पीएफआरडीए के दिनांक 25 जुलाई 2019 के परिपत्र का अधिस्थापन</u>

1. संदर्भ : PF विनियम IV (ख) – हितों का टकराव

   'कोई भी पेंशन फंड या उसके निदेशक, कर्मचारी अथवा सहयोगी, स्वयं के खाते से या उनसे संबंधित खातों के माध्यम से, अथवा अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या मित्रों के माध्यम से किसी भी प्रकार की इनसाइडर ट्रेडिंग में संलग्न नहीं होंगे। साथ ही, वे इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।'

2. पृष्ठभूमि :

   पीएफआरडीए ने पेंशन फंड्स पर लागू "सेल्फ-डीलिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग एवं फ्रंट रनिंग पर दिशानिर्देश" संबंधी परिपत्र दिनांक 25 जुलाई 2019 को जारी किया था।

   इनसाइडर ट्रेडिंग, सेल्फ-डीलिंग तथा फ्रंट रनिंग ऐसे विषय हैं जो प्रतिभूति बाजार ढांचे के अंतर्गत पूर्णतः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियामक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सेबी ने इन विषयों पर व्यापक विनियम, परिपत्र एवं दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो प्रतिभूति बाजार में कार्यरत सभी प्रतिभागियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

3. पीएफआरडीए की विनियामक स्थिति एवं स्पष्टीकरण :

   पीएफआरडीए एतदद्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं को स्पष्ट करता है :

   क. एनपीएस के अंतर्गत किए जाने वाले सभी निवेश प्रतिभूति बाजार में किए जाते हैं और सेबी-नियंत्रित बाजार पारितंत्र का हिस्सा हैं।

ख. अतः, निम्नलिखित विषयों से संबंधित सेबी के विनियम (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015, परिपत्र एवं दिशानिर्देश–

- इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध,
- सेल्फ-डीलिंग की रोकथाम, तथा
- फ्रंट रनिंग की रोकथाम,

यथासंभव और जहाँ तक प्रभावी हों, पेंशन फंड्स, उनके निदेशकों, कर्मचारियों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों तथा एनपीएस निवेश गतिविधियों से जुड़े अन्य सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।

ग. विनियामक ओवरलैप एवं दुहराव से बचने के लिए पीएफआरडीए द्वारा इन विषयों पर पृथक या समानांतर विनियामक प्रावधान निर्धारित नहीं किया जाएगा।

4. पूर्ववर्ती पीएफआरडीए परिपत्र का अधिस्थापन :

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में :

क. "सेल्फ-डीलिंग एवं फ्रंट रनिंग पर दिशानिर्देश" संबंधी पीएफआरडीए का दिनांक 25 जुलाई 2019 का परिपत्र तथा उसके पश्चात जारी स्पष्टीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।

ख. पेंशन फंड्स की आंतरिक नीतियों, आचार संहिता या परिचालन दस्तावेजों में उक्त परिपत्र का कोई भी संदर्भ, जहाँ तक प्रासंगिक हो, लागू सेबी विनियामक ढांचे से संदर्भित के रूप में पठित होगा।

5. पेंशन फंड्स की जिम्मेदारी :

प्रत्येक पेंशन फंड निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

क. निवेश संचालन के विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों द्वारा इनसाइडर / व्यक्तिगत ट्रेडिंग को रोकने हेतु सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुरूप एक मॉडल आचार संहिता तैयार करेगा तथा इसे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

ख. लागू सेबी विनियमों के अनुरूप आंतरिक नीतियाँ, आचार संहिता एवं अनुपालन ढाँचे को अपनाना, लागू करना एवं बनाए रखना।

ग. एनपीएस निवेश गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों को सेबी ढाँचे के अंतर्गत उनके दायित्वों के संबंध में पर्याप्त रूप से संवेदनशील एवं प्रशिक्षित करना।

घ. लागू विधियों के अनुसार, इनसाइडर ट्रेडिंग, सेल्फ-डीलिंग या फ्रंट रनिंग के किसी भी मामले की निगरानी, रिपोर्टिंग एवं अग्रेषण हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ स्थापित करना।

6. पीएफआरडीए द्वारा पर्यवेक्षण :

पीएफआरडीए, पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत अपनी पर्यवेक्षणीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन फंड्स द्वारा अपनाए गए अभिशासन, आंतरिक नियंत्रण एवं अनुपालन तंत्र की पर्याप्तता का आकलन करेगा, ताकि लागू सेबी विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

कोई भी कमी पाए जाने पर, लागू विनियामक ढाँचे के अनुसार उसका समाधान किया जाएगा।

7. प्रभावी तिथि :

यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

भवदीय,

K MOHAN GANDHI
Digitally signed by K MOHAN GANDHI

मुख्य महाप्रबंधक